संघ लोक सेवा आयोग

****

सिविल सेवा परीक्षा में अवसरों की संख्या के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न.1 सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध अवसरों की संख्या (श्रेणी-वार) क्या है?

उत्तरः

अवसरों की संख्या	**सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर**	**अ.जा./अ.ज.जा.**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**पीडब्ल्यूबीडी**
	06	असीमित	09	सामान्य/ईडब्ल्यूएस/अ.पि.व. के लिए 09 अ.जा./अ.ज.जा. के लिए असीमित

प्रश्न.2 सिविल सेवा परीक्षा में एक 'अवसर' की गणना कैसे की जाती है?

उत्तरः प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवार द्‌वारा किए गए प्रयासों को सिविल सेवा परीक्षा का एक अवसर तब माना जाता हैः

(I) यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक पेपर में वास्तव में उपस्थित होता है।

(II) उम्मीदवारी अनर्ह/ निरस्त होने के बावजूद, उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को एक अवसर के रूप में गिना जाता है।

प्रश्न.3 इच्छुक उम्मीदवार को सिविल सेवा परीक्षा में उसके द्‌वारा प्राप्त किए गए अवसरों की संख्या का पता कैसे चलेगा?

उत्तरः यह उम्मीदवार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने द्‌वारा प्राप्त किए गए प्रयासों की संख्या का एक रिकार्ड/जानकारी रखे।

प्रश्न.4 आयोग द्वारा यह सत्यापन किस पद्धति से किया जाता है कि उम्मीदवार ने सिविल सेवा परीक्षा में संबंधित श्रेणी हेतु अनुमत अवसरों की संख्या से अधिक अवसरों का लाभ नहीं उठाया है?

उत्तरः सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या की जांच/सत्यापन, इस परीक्षा के समुचित चरण में आयोग के पास उपलब्ध डेटा/रिकार्ड से की जाती है।

प्रश्न.5 आयोग उस उम्मीदवार के विरूद्ध क्या कार्रवाई करता है जिसने आवेदन-प्रपत्र में सूचना को छिपाकर या गलत सूचना देकर अनुमत प्रयासों की संख्या से अधिक प्रयास प्राप्त किए हों?

उत्तरः मौजूदा सिविल सेवा परीक्षा नियमावली में अनर्हता, विवर्जन, अनुशासनिक कार्रवाई, आपराधिक अभियोग के अंतर्गत संगत उपबंधों में यह प्रावधान किया गया है कि "जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा घोषित हो चुका है : (च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अंतर्गत परीक्षा, जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।" अतः, इस नियम के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अवसरों की संख्या के संबंध में गलत सूचना देने संबंधी सभी मामलों में, आयोग ऐसे दोषी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी उस सिविल सेवा परीक्षा विशेष के लिए निरस्त कर देता है तथा साथ ही आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं/चयन से उन्हें 10 वर्ष के लिए विवर्जित कर सकता है।"

****